

2016/00232

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक - रीडर / 2022 / 259

दिनांक :- 25.8.2022

मुकदमा नंबर 499/2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रूगनाथ पुत्र श्री बदीजी 2. ओमप्रकाश पुत्र ब्रदीली 3. श्रीमती सुआ बेवा बदीजी 4. भूराराम पुत्र सावंलरामजी 5. जमना बेवा सावंलरामजी 6. भीमाराम गोद पुत्र नृसिंहजी जाती माली 7. श्रीमती गवरीदेवी पत्नी कानारामजी 8. मकाराम पुत्र हरीरारामजी 9. भोलाराम पुत्र हरीरामजी 10. रणछोड पुत्र हरीरामजी जातियान माली निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. प्रहलाद पुत्र देवारामजी 2. पुखराज पुत्र देवजी 3. जोराराम पुत्र श्री नारायणजी जातियान माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

आदेश

दिनांक :- 25.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा बालोतरा पटवारी क्षेत्र बालोतरा भू-निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 915 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मददेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक / रीडर / 2022 / 260
प्रतिलिपि :-

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

(नरेश सोनी) -
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
बालोतरा

दिनांक :- 25.8.22

उपखण्ड अधिकारी,
(बालोतरा सोनी) -
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

